न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 632 दिनांक : 09.06.2025

तहसीलदार,
तहसील रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर।

विषय :– वाद सं0 63/2023 उनवानी भवानीसिंह बनाम सुरजमल व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 63/2023 उनवानी भवानीसिंह बनाम सुरजमल वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। चूंकि वादीगण को ग्राम टाडावास तहसील जालसू के खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिसकी उपर्युक्तानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः– 1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06..2025

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O)
Email: acm.amer.jpr@gmail.com

फर्द अहकाम

भवानीसिंह **बनाम** उदाराम

नाम न्यायालय SDM आमेर जयपुर

केस संख्या 63/2023 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/5/25	पत्रावली आज दिनांक 21/5/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट [illegible] एसो. जयपुर द्वारा कार्यवाही [illegible] की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/5/25 को पेश हो।	
	23/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप./वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/6/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	5/6/2025	पत्रावली प्रस्तुत/वकील वादी उपस्थित। तनकी संख्या 1 लगायत 7 वादी के पक्ष में साबित होने से वाद डिक्री किया जाता है वादीगण को बाके ग्राम रामपुरा(?) तहसील जालसू के ख.न. 278 रकबा 0.2200 हैक्टेयर जिसके साबिक ख.न. 392 रकबा 3.01 बीघा है को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी-1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] से लिखवाया गया [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहसीलदार(?) 639 09,06,2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –63/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक –31.07.2023

1. भवानीसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सुन्दर नगर खातीपुरा झोटवाडा जयपुर।
2. किशनसिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बिशन सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टांडावास तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सुन्दर नगर खातीपुरा झोटवाडा जयपुर।
4. सरदार सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. मोहन कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नि उम्मेदसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी वैशाली नगर जिला अजमेर।
6. ओम कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नि नरपतसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी पीलवा तहसील परबतसर जिला नागौर।
7. चैन कंवर पुत्री मदन सिंह पत्नि नाथू सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी अशोक विहार गोकुलपुरा जयपुर।
8. गोविन्द कवर पत्नि मदनसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........वादीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र काना उम्र 74 वर्ष जाति अहीर निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

श्री राजकुमार सिंह शेखावत – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

दिनांक 05.06.2025

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनमें वादीगण संख्या 1 से 7 स्वर्गीय मदनसिंह जी पुत्र भंवरसिंह जी की जायंदा संतान है। तथा वादी संख्या 8 गोविन्द कंवर स्वर्गीय मदनसिंह जी की विवाहित पत्नि है। वादीगण संख्या 1 से 7 के पिता स्वर्गीय मदनसिंह जी पुत्र भंवरसिंह जी ने दिनांक 22.02.1993 को सरहद मौजा टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा किस्म भूमि बारानी तत्कालीन काबिज खातेदार कृषक जीवन, सुरजमल पुत्रान श्री काना जातियान अहीर निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर से उक्त खेत रूपये 30500/– नगद में खरीद कर कब्जा भूमि प्राप्त की तथा भूमि का विक्रय पत्र जीवन व प्रतिवादी संख्या सुरजमल ने स्वर्गीय मदनसिंह जी के हक में लिखित निष्पादित करते हुये विक्रय पत्र का उप पंजियक महोदय आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीयन करवाकर भूमि पर काबिज हुये तथा अपने जीवन काल में भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे। स्वर्गीय मदनसिंह जी का दिनांक 8.04.2008 को स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त खेत पर वादीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होकर काबिज है। स्वर्गीय मदनसिंह जी ने अपने हक में तत्कालिन खातेदार जीवन, सुरजमल पुत्रान काना से उक्त खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा खरीद कर विक्रय पत्र अपने पक्ष में पंजीयन करवाने के उपरान्त खेत के खातेदारी अधिकार बाबत् नामान्तकरण बाबत् राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की उसी दरमियान गांव टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही किये जाने से उक्त खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा का नया खसरा नम्बर 278 रकबा 3.01 बीघा दर्ज हो जाने से स्वर्गीय मदनसिंह जी के नाम से नामान्तकरण प्रवृष्टि कम संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 को उक्त साबिका खसरा नम्बर 392 जिसके नया खसरा नम्बर 278 होकर स्वर्गीय मदनसिंह जी के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 का जमाबंदी में इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो / अधिकारियो की भूल से दर्ज नहीं हो पाने से जमाबंदी में स्वर्गीय मदनसिंह जी का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जिसकी स्वर्गीय मदनसिंह जी व वादीगण को कोई जानकारी नहीं रही। स्वर्गीय मदनसिंह जी के हक में साबिका खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि है। जिसका विक्रय पत्र तत्कालिन खातेदार जीवन व प्रतिवादी संख्या 1 सुरजमल ने [illegible] लिखित, निष्पादित करते हुये उप पंजीयक अधिकारी आमेर के समक्ष उपस्थित होकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया एवम् विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 स्वीकृत होकर स्वर्गीय मदनसिंह पुत्र भवरसिंह राजपूत निवासी टाडावास को खातेदार कृषक दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई परन्तु नामान्तकरण प्रवृष्टि संख्या 72 दिनांक 10. 03.1993 की पालना में जमाबंदी में अंकन आज तक नहीं किया गया। तथा मदनसिंह जी की दिनांक 8.04.2008 को मृत्यु हो जाने से वादीगण जो उनके विधिक वारिसान है का नाम भी जमाबंदी में दर्ज नही हो पाने से वादीगण को यह वादपत्र घोषणा खातेदारी है। बाबत् पेश करना लाजमी हुआ है।

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumah Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर 392 रकवा 3.01 बीघा का तत्कालीन खातेदार जीवन की मृत्यु हो चुकी है। तथा उसके स्थान पर खातेदारी में नाम आज दिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दर्ज करवा लिया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को यह जानकारी रहती रही है। कि उसने दिनांक 22.02.1993 को उक्त खेत खसरा नम्बर 392 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 278 है का प्रतिफल प्राप्त कर बेचान वादीगण संख्या 1 से 7 के पिता स्वर्गीय मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह के हक में पंजीयन कराकर कब्जा सुपुर्द करते हुये नामान्तकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने जानबुझकर खातेदारी में जीवन के स्थान पर अपना नाम नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 5.06.2014 को विरासत का नामान्तकरण अपने नाम हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर में दर्ज करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 278 रकवा 0.7700 हैक्टेयर मौजा टाडावास तहसील आमेर के खेत में कोई हक अधिकार दिनांक 22.02.1993 के बाद न तो रहे है ना ही है। परन्तु प्रतिवादी संख्या सुरजमल ने खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 2 प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल से अपने आप को खेत का खातेदार कृषक बताते हुऐ ऋण प्राप्त किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के मन में धोखाधड़ी करने एवम् वादीगण के हक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की नियत होने का वादीगण को अंदेशा हो जाने से वादीगण को यह वादपत्र घोषणा हक खातेदारी लाजमी एवम् स्थिाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण संख्या 1 से 7 के पिता स्वर्गीय मदनसिंह जी द्वारा दिनांक 22.02.1993 को प्रतिवादी संख्या 1 सुरजमल व उसके भाई जीवन से सरहद मौजा टाडावास की काकड का खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर खरीद कर कब्जा भूमि प्राप्त कर काबिज काश्तकार हुये तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 स्वीकृत हुआ परन्तु जमाबंदी में नामान्तकरण प्रविष्टी का इन्द्राज नहीं होने एवम् जमाबंदी के सम्बन्ध में वादीगण व उनके पिता को जानकारी नहीं रहने से प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 5.06. 2014 को नामान्तकरण संख्या 525 जीवन के स्थान पर अपने नाम विरासत का दर्ज करा लिया। जबकि उक्त खेत पर वादीगण काबिज काश्तकार है। जिससे प्रथम दृश्टया मामला वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या 2 आईसीआईसीआई बैंक से ऋण प्राप्त कर भूमि को बैंक के ऋण दर्ज करवा दी है जिससे वादीगण को असुविधा हो रही है। साथ ही वादीगण के नाम से जमाबंदी गांव टाडावास में उक्त खेत खसरा नम्बर 278 की खातेदारी दर्ज नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की जानकारी के बिना भूमि को बैंक के ऋण दर्ज करवा देने से वादीगण बिना किसी कानूनी के अपने अधिकारो से वंचित हो रहे है। खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 1 भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश करेगा। जिससे वादीगण अपने हक अधिकार स्वामित्व के खेत खसरा नम्बर 278 मौजा टाडावास से वंचित होने की संभावना हो जाने से अपूर्णिय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में है। विनाय वाद सरहद मौजा टाडावास के साबिका खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि है। उक्त कृषि भूमि को वादीगण संख्या 1 से 7 के पिता स्वर्गीय मदनसिंह जी ने दिनांक 22.02.1993 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सुरजमल व उसके दीगर भाई जीवन्त से खरीद कर प्रतिफल राशि अदा करते हुए बेचान का अपने नाम पंजीयन करवाकर नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 स्वर्गीय मदनसिंह जी के नाम स्वीकृत हो जाने परन्तु राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों की भूलवंश जमाबंदी में नामान्तकरण प्रविष्ट संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 को इन्द्राज नहीं हो पाने से जबकि उक्त खेत पर कब्जा काश्त निरन्तर स्वर्गीय मदनसिंह जी को व उनके स्वर्गवास उपरान्त वादीगण का रहने से परन्तु खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 1 ने जीवन की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 5.06.2014 अपने नाम दर्ज करवाकर भूमि बैंक से ऋण प्राप्त कर लेने से वादीगण को अपनी जोत की जमाबंदी की नकल सीमाज्ञान बाबत माह अप्रेल 2022 में प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि स्वर्गीय मदनसिंह जी के नाम से नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 गांव टाडावास की प्रविष्ट का जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हुआ है। जिस पर वादी संख्या 2 किशनसिंह ने तहसील कार्यालय में जमाबंदी में खातेदारी दर्ज करने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश किया परन्तु किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से एवम् प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी की आड में खेत के राजस्व रिकार्ड को खुर्द बूर्द करने पर आमन्दा होने से यह वाद कारण समय–समय पर गांव टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर में उत्पन्न हुआ जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवम् श्रवणाधिकार का है। मौजा टाडावास के खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 2 के मूर्तहीन दर्ज करवा दी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 को भी आवश्यक प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कई अवसर देने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 01.07.2024 को एकपक्षयीय कार्यवाही की गई।

वाद पत्र अनुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी वाके ग्राम टाडावास, तहसील जालसू, जयपुर के खसरा नंबर 392 रकबा 3.01 बीघा का नया खसरा नंबर 278 रकबा 3.01 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

———वादीगण

2. आया विवादित आराजी का नामांतकरण क्रम संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 को खसरा नंबर 392 जिसके नया खसरा नंबर 278 हो, मदन सिंह के हक में विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया परंतु जमाबंदी में अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया, जिसका अंकन कराने का वादीगण अधिकारी है ?

———वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

———-वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जयपुर

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीगण पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 किशन सिंह पुत्र मदनसिंह निवासी टाडावास तहसील आमेर जयपुर प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

अभिलेख साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नंबर 75 एवं 76 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2037 खसरा नंबर 73 एवं 74 प्रदर्श–2, जमाबदी सवंत 2061 खसरा नम्बर 68, 63 एवं 64 –प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति जमाबदी सवंत 2061 खसरा नम्बर 65 एवं 66 प्रदर्श 4, जमाबंदी सवंत 2065 खसरा नम्बर 58, 59, 60 प्रदर्श 5,जमाबदी संवत 2069 खसरा नम्बर 64, 65 प्रदर्श 6,जमाबदी प्रदर्श 7, विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1993, नामान्तकरण रजिस्टर दर्ज संख्या 62 दिनांक 10.03.1993 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये।

प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के मध्यनजर तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है

1. आया विवादित आराजी वाके ग्राम टाडावास, तहसील जालसू, जयपुर के खसरा नंबर 392 रकबा 3.01 बीघा का नया खसरा नंबर 278 रकबा 3.01 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

———वादीगण

2. आया विवादित आराजी का नामांतकरण क्रम संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 को खसरा नंबर 392 जिसके नया खसरा नंबर 278 होकर स्व. मदन सिंह के हक में विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया परंतु जमाबंदी में अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया जिसका अंकन करवाने का वादीगण अधिकारी है ?

———वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

———वादीगण

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 3 एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादीगण ने उक्त तनकीयो को साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नंबर 75 एवं 76 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2037 खसरा नंबर 73 एवं 74 प्रदर्श–2, जमाबदी सवंत 2061 खसरा नम्बर 68, 63 एवं 64 –प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति जमाबदी सवंत 2061 खसरा नम्बर 65 एवं 66 प्रदर्श 4, जमाबंदी सवंत 2065 खसरा नम्बर 58, 59, 60 प्रदर्श 5,जमाबदी संवत 2069 खसरा नम्बर 64, 65 प्रदर्श 6,जमाबदी प्रदर्श 7, विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1993, नामान्तकरण रजिस्टर दर्ज संख्या 62 दिनांक 10.03.1993 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये है।

वादीगण संख्या 1 से 7 के पिता स्वर्गीय मदनसिंह जी पुत्र भंवरसिंह जी ने दिनांक 22.02.1993 को सरहद मौजा टाडावास तहसील [illegible] जिला जयपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा किस्म भूमि बारानी [illegible] काबिज खातेदार कृषक जीवन, सुरजमल पुत्रान श्री काना जाति [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर से उक्त खेत रूपये 30500/– नगद में खरीद कर [illegible] भूमि प्राप्त की तथा भूमि का विक्रय पत्र जीवन व प्रतिवादी संख्या सुरजमल ने स्वर्गीय मदनसिंह जी के हक में लिखित निष्पादित करते हुये विक्रय पत्र का उप पंजियक महोदय आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीयन करवाकर भूमि पर काबिज हुये तथा अपने जीवन काल में भूमि का उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करते रहे। स्वर्गीय मदनसिंह जी का दिनांक 8.04.2008 को स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त खेत पर वादीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होकर काबिज है। स्वर्गीय मदनसिंह जी ने अपने हक में तत्कालिन खातेदार जीवन, सुरजमल पुत्रान काना से उक्त खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा खरीद कर विक्रय पत्र अपने पक्ष में पंजीयन करवाने के उपरान्त खेत के खातेदारी अधिकार बाबत् नामान्तकरण बाबत् राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की उसी दरमियान गांव टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही किये जाने से उक्त खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीधा का नया खसरा नम्बर 278 रकबा 3.01 बीघा दर्ज हो जाने से स्वर्गीय मदनसिंह जी के नाम से नामान्तकरण प्रवृष्टि कम संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 को उक्त साबिका खसरा नम्बर 392 जिसके नया खसरा नम्बर 278 होकर स्वर्गीय मदनसिंह जी के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया किया गया परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.03.1993 का जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हो सका जोकि प्रदर्श 3 लगायत 7 से साबित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने तनकी संख्या 1 लगायत 3 बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण को वाके ग्राम टाडावास तहसील जालसू जयपुर के खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा है को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण हक अधिकार स्वामित्व खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नही करे। तहसीलदार जालसू को पालना हेतू तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद प्रस्तुति दिनांक —31.07.2023

नियमित वाद संख्या —63/2023

1. भवानीसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सुन्दर नगर खातीपुरा झोटवाडा जयपुर।
2. किशनसिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बिशन सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टांडावास तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सुन्दर नगर खातीपुरा झोटवाडा जयपुर।
4. सरदार सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. मोहन कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नि उम्मेदसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी वैशाली नगर जिला अजमेर।
6. ओम कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नि नरपतसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी पीलवा तहसील परबतसर जिला नागौर।
7. चैन कंवर पुत्री मदन सिंह पत्नि नाथू सिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास हाल निवासी अशोक विहार गोकुलपुरा जयपुर।
8. गोविन्द कवर पत्नि मदनसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........वादीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र काना उम्र 74 वर्ष जाति अहीर निवासी टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 15:20:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी डिक्री किया जाता है। वादीगण को वाके ग्राम टाडावास तहसील जालसू जयपुर के खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 392 रकबा 3.01 बीघा है को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को

प्रकरण संख्या – 63/2023
बउनवानी – भवानी सिंह बनाम सुरजमल वगै0
निर्णय दिनांक :– 05.06.2025

जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण हक अधिकार स्वामित्व खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 0.7700 हैक्टेयर में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नही करे। तहसीलदार जालसू को पालना हेतू तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 05.06.2025 को जारी किया ।

दस्तखत–––

ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested